परिपत्र संख्या 11/11

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(34)जन/11/ 20782-21145 दिनांकः 16-9-2011

1. *अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),*
   जयपुर

2. *समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन*
   एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राज0

3. *समस्त उप पंजीयकगण,*
   राजस्थान

परिपत्र

विषयः आयकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना में अचल सम्पत्ति पंजीयन की सूचना आयकर विभाग को समय पर भिजवाने के संबंध में।

आयकर अधिनियम की धारा-133 (6) के तहत ₹ 5 लाख एवं उससे अधिक किन्तु ₹ 30 लाख से कम की मालियत के पंजीबद्ध दस्तावेजों की सूचना आयकर विभाग को भिजवाये जाने का प्रावधान है। सूचना समय पर नहीं भिजवाने पर संबंधित उप पंजीयक पर आयकर अधिनियम की धारा-272ए (2) (सी) के तहत ₹ 100 प्रतिदिन शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए सपठित नियम 114 ई के तहत 30 लाख या अधिक की अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों की सूचना फार्म नम्बर-65 में प्रतिवर्ष संबंधित आयकर अधिकारी को भेजने का दायित्व उप पंजीयक का है। उपरोक्त प्रावधानों की पालना के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र/पत्र जारी कर निर्देश दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1.	परिपत्र संख्या 18/05	दिनांक 29.10.05
2.	परिपत्र संख्या 22/05	दिनांक 29.10.05
3.	परिपत्र संख्या 2/06	दिनांक 29.10.05
4.	परिपत्र संख्या /09	पंजीयन एवं मुद्रांक मार्गदर्शिका 2009
5.	पत्र क्रमांक	एफ-7(34)जन/10/11680 दिनांक 30.8.10
6.	पत्र क्रमांक	एफ-7(34)जन/10/22476-836 दिनांक 2.11.10
7.	पत्र क्रमांक	एफ-7(34)जन/11/15378-15765 दिनांक 19.7.11

आयकर विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि ***अलवर वृत में-*** उप पंजीयक, किशनगढ़वास, रामगढ़, टपूकड़ा, नीमराना, भिवाड़ी, कोटकासिम ***जयपुर वृत में-*** उप पंजीयक, बसवा, खण्डार एवं दौसा ***भरतपुर वृत में-*** उप पंजीयक, नदबई, डीग, रूपवास, उच्चैन, नादौती, भरतपुर, धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, कंचनपुर ***जयपुर सतर्कता में-*** उप पंजीयक, पलसाना ***अजमेर वृत में-***रूपनगढ़, केकड़ी, भिनाय, अजमेर-प्रथम एवं द्वितीय, पुष्कर, नसीराबार, किशनगढ़, पीसांगन, ब्यावर द्वारा सूचना समय पर नहीं भिजवाई गई है। आयकर विभाग द्वारा संबंधित उप पंजीयकों को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया गया है।

इस संबंध में समस्त उप पंजीयकों को निर्देशित किया जाता है कि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित सूचना 7 दिवस में आयकर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए एवं सपठित नियम 114 बी के अन्तर्गत 5 लाख व उससे अधिक मूल्य के दस्तावेजों में पेन नम्बर अन्यथा पूर्ण प्रविष्टियों सहित फार्म नम्बर 60/61 पक्षकारों से प्रस्तुत करवाने का दायित्व संबंधित उप पंजीयक का है।

रेफेन्स के आधार पर दर्ज प्रकरणों में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिये गये निर्णय के फलस्वरूप सम्पत्ति की मालियत में वृद्धि होती है, किन्तु ऐसे प्रकरणों की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दिये जाने के कारण वे आयकर कानून के अन्तर्गत ऐसे पक्षकारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय के फलस्वरुप दस्तावेज की मूल मालियत में रूपये 5 लाख या अधिक की वृद्धि होती है तो उसकी सूचना मय दस्तावेज की प्रति के साथ निदेशक, आयकर (सी.आई.बी.), न्यू एनैक्सी, केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, जयपुर को दी जावे।

उप पंजीयक द्वारा पंजीबद्ध किये जाने वाले दस्तावेजों में जिला स्तरीय समिति की दर के आधार पर बाजार मूल्य प्रतिफल से अधिक होता है तो कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य के अनुरुप जमा करके राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-54 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज के पृष्ठ भाग में लगाया जाता है। आयकर विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय उप पंजीयकों द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र दस्तावेज के पृष्ठ भाग में अंकित नहीं किया जाता है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-54 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से दस्तावेज के पृष्ठ भाग में अंकित किया जावे।

क्रेता/विक्रेता जिनके पास पेन नम्बर नहीं होते हैं उनके द्वारा फार्म नम्बर 60/61 भरकर प्रस्तुत किया जाता है। उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा आयकर विभाग को फार्म 60/61 भिजवाये जाते समय उनमें संबंधित दस्तावेज की पंजीयन संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में फार्म नम्बर-60/61 आयकर विभाग को भिजवाने से पूर्व उन पर दस्तावेज की पंजीयन संख्या का स्पष्ट अंकन किया जावे।

अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि 5 लाख व उससे अधिक मूल्य के दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर आवश्यक रूप से पेन नम्बर अंकित करवाये जावें अन्यथा पूर्ण प्रविष्टियों सहित फार्म नम्बर 60 व 61 प्राप्त किये जावें। तत्पश्चात् ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकारों द्वारा पेन नम्बर दस्तावेजों में अंकित नहीं किये हैं, उनके प्राप्त फार्म नम्बर 60 व 61 की संबंधित दस्तावेज की अतिरिक्त प्रति के साथ सूची प्रत्येक वर्ष में दो बार (अप्रेल व अक्टूबर) स्थानीय आयकर कार्यालय को भिजवाये जावें तथा 30 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों की सूचना निर्धारित अवधि में फार्म नम्बर-65 में आयकर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित अवधि में न करने पर आयकर अधिनियम, के तहत उप पंजीयक, की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर शास्ति का प्रावधान है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(34)जन/11/ 21146-21232 दिनांकः 16-9-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. आयकर निदेशक (सी.आई.बी.) न्यू एनेक्सी, केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
10. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. ए.सी.पी. मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर